

समाहरणालय, जहानाबाद  
(जिला गोपनीय प्रभाखा)

अधिसूचना

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशोध और व्यापार वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम Cigarettes and other Tobacco Product (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (COTPA) को जिले में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 336 (12) पटना दिनांक 02-04-2012 के आलोक में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति District Tobacco Control Coordination Committee (DTCCC) \*\* का गठन किया जाता है।

गठित की गयी समिति में विभिन्न विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थानों के निम्नांकित सदस्य होंगे :-

1.	जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति	-	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद	-	सदस्य
3.	उप विकास आयुक्त, जहानाबाद	-	सदस्य
4.	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति	-	सदस्य सचिव
5.	विशेष नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम जहानाबाद (जिला कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद)	-	सदस्य-सह-समन्वयक
6.	जिला शिक्षा पदाधिकारी	-	सदस्य
7.	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी	-	सदस्य
8.	जिला परिवहन पदाधिकारी	-	सदस्य
9.	जिला पंचायती राज पदाधिकारी	-	सदस्य
10.	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद	-	सदस्य
11.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद	-	सदस्य
12.	जिला ऐपिडेमियोलॉजिस्ट, आई.डी.एस.पी, जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद	-	सदस्य
13.	जिला खाद्य / औषधि नियंत्रक, जहानाबाद	-	सदस्य
14.	प्राचार्य, स्वामी सहजानंद, महाविद्यालय, जहानाबाद	-	सदस्य
15.	प्राचार्य, सतेन्द्र नारायण सिन्हा महाविद्यालय, जहानाबाद	-	सदस्य
16.	प्राचार्य, मुरलीधर उच्च विद्यालय, जहानाबाद	-	सदस्य
17.	प्राचार्य, गाँधी स्मारक इंटर स्तरीय विद्यालय, जहानाबाद	-	सदस्य
18.	सचिव, रेडक्रॉस सोसाइटी, जहानाबाद	-	सदस्य
19.	प्रतिनिधि सोशियो इकनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (SEEDS) पटना	-	सदस्य

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित है :-

- ☑ COTPA 2003 को पूरे जिला में प्रभावी रूप से लागू कराने, चालान (दण्ड) व्यवस्था शुरू करने एवं मुल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना।
- ☑ तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि केन्द्र सरकार के निदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये।
- ☑ सभी प्रखंडों की अनुश्रवण /रहनुमाई समितियों का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित किया जाना है।
- ☑ यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रहे हैं तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कितने मामलों में फैसला किया गया है।
- ☑ तम्बाकू संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा प्रखंड स्तरीय समितियों को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।

- ☑ भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (COTPA 2003) की धारा-4,5,6 एवं 7 के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करना तथा जिला स्तरीय समिति को सूचित करना।
- ☑ जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति (DTCCC) के सदस्यों की त्रैमासिक बैठक सुनिश्चित करना।
- ☑ तम्बाकू और संबद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष/Surrogate विज्ञापन के बारे में शिकायत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना।

20/01/16  
जिलाधिकारी  
जहानाबाद

ज्ञापांक .....147...../गो जहानाबाद

दिनांक .....26.01.2016.....

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद / सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जहानाबाद / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, जहानाबाद / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, /जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति /जिला ऐपिडेमियोलॉजिस्ट, आई.डी.एस.पी, जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद/संबंधित प्रचार्य, जहानाबाद जिला जहानाबाद एवं संबंधित पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- प्रमंडल आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया /पुलिस उप महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकनामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी /राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

20/01/16  
जिलाधिकारी  
जहानाबाद

समाहरणालय, जहानाबाद  
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ जिला स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

जिला स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे:-

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| 1. आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय)                   | - | अध्यक्ष |
| 2. उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, जहानाबाद              | - | सदस्य   |
| 3. जिला परिवहन पदाधिकारी                         | - | सदस्य   |
| 4. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी                  | - | सदस्य   |
| 5. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS)               | - | सदस्य   |
| 6. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी                  | - | सदस्य   |
| 7. औषधि निरीक्षक                                 | - | सदस्य   |
| 8. जिला शिक्षा पदाधिकारी                         | - | सदस्य   |
| 9. जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जिला स्वास्थ्य समिति) | - | सदस्य   |
| 10. श्रम अधीक्षक, जहानाबाद                       | - | सदस्य   |
| 11. संबंधित थानाध्यक्ष                           | - | सदस्य   |
| 12. जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण)       | - | समन्वयक |

जिला नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण इस छापामार दस्ते के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को कियान्वित करेंगे। साथ ही प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

26-01/16  
जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,  
जहानाबाद

ज्ञापांक .....148...../गो0 जहानाबाद

दिनांक 26.01.2016

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद / सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जहानाबाद / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, जहानाबाद / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, (जिला का नाम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :- प्रमंडल आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया / पुलिस उप महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकनामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी /राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

25/1/16

जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,  
जहानाबाद

समाहरणालय, जहानाबाद  
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

**आदेश**

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ **अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर **उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक)** की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1. अनुमंडल पदाधिकारी                            | - | अध्यक्ष |
| 2. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी                      | - | सदस्य   |
| 3. कार्यपालक दण्डाधिकारी                        | - | सदस्य   |
| 4. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी                     | - | सदस्य   |
| 5. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल मुख्यालय | - | सदस्य   |
| 6. अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी                     | - | सदस्य   |
| 7. संबंधित थानाध्यक्ष                           | - | सदस्य   |

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में उक्त छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे। इस काम में अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें लें सकेंगे।

*25/1/16*  
जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,  
जहानाबाद

ज्ञापांक 149 /गो जहानाबाद

दिनांक 26.01.2016

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद / सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जहानाबाद / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, जहानाबाद / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :- प्रमंडल आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया / पुलिस उप महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकनामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

*25/1/16*  
जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,  
जहानाबाद।

समाहरणालय, जहानाबाद  
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता जो सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

- |                                   |   |              |
|-----------------------------------|---|--------------|
| 1. प्रखंड विकास पदाधिकारी         | - | अध्यक्ष      |
| 2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी     | - | सन्वयक सदस्य |
| 3. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी | - | सदस्य        |
| 4. प्रखंड कृषि पदाधिकारी          | - | सदस्य        |
| 5. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी        | - | सदस्य        |
| 6. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक       | - | सदस्य        |
| 7. संबंधित थानाध्यक्ष             | - | सदस्य        |

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में इस छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। वे आवश्यकतानुसार अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकेंगे। साथ ही उनके द्वारा प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें ली जा सकेंगी।

जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,

जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,

जहानाबाद

दिनांक 26/01/2016

ज्ञापांक 150 / गो0 जहानाबाद

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद / सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जहानाबाद / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, जहानाबाद / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :- प्रमंडल आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया / पुलिस उप महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकनामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,

जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,

जहानाबाद


# समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

## आदेश

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध है। उल्लेखनीय है कि धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है, लेकिन अभी भी आम जनता जानकारी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हैं।

जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा—बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शापिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतिकालय, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा, सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल, सिनेमा हॉल, होटल/ रेस्टोरेन्ट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति धूम्रपान करते पाया जाता है तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, COTPA-2003 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, उल्लंघनकर्ता को रूपये 200/- तक जुर्माना किया जा सकता है। बोर्ड का प्रारूप निम्नांकित है :-



अतः चालान के द्वारा अधिकतम 200 रु0 तक दंड की व्यवस्था के सुचारु रूप से कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने-अपने कार्य क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के तहत उल्लंघन करने वाले को 200 रु0 तक दंडित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ में प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गयी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

20/07/16  
जिलाधिकारी—सह—अध्यक्ष,  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,  
जहानाबाद

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद / सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जहानाबाद / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, जहानाबाद / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- प्रमंडल आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया / पुलिस उप महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकनामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

26/1/15  
जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,  
जहानाबाद



**समाहरणालय, जहानाबाद**  
**(जिला गोपनीय प्रशाखा)**  
**आदेश**

जिले के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार-प्रसार बैनर्स / पोस्टर्स / होर्डिंग्स / दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशोध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के धारा 5(1) एवं 5(3) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार "धारा 5 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास / रूपये 1000/- (रूपये एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है"।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों / संस्थाओं / दुकानदारों / व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स / पोस्टर्स / होर्डिंग्स / दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार-प्रसार करना बंद करें एवं जिले में लगाये गये इस तरह के बैनर्स / पोस्टर्स / होर्डिंग्स / दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाये जायें अन्यथा विधि संगत कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित पदाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र को TAPS (Tobacco Advertisement Promotion and Sponsorship) मुक्त कर अधोहस्ताक्षरी को एक माह के अंदर सूचित करें।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

20/1/16  
जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,  
जहानाबाद

ज्ञापांक .....154...../गो0 जहानाबाद

दिनांक 26.01.2016

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद / सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जहानाबाद / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, जहानाबाद / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- प्रमंडल आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया / पुलिस उप महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकनामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

20/1/16  
जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,  
जहानाबाद

समाहरणालय, जहानाबाद  
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

आदेश

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा 6-a के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानों पर यह बोर्ड लगाना अनिवार्य है इस अधिनियम के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है फलैक्स बैनर का प्रारूप निम्नप्रकार से है :-



जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा- बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने दुकान पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रु० तक दंड का प्रावधान है।

जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,  
जहानाबाद

ज्ञापांक .....151...../गो० जहानाबाद

दिनांक 26.01.2016

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद / सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जहानाबाद / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, जहानाबाद / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० / डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :- प्रमंडल आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया / पुलिस उप महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकनामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,  
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,  
जहानाबाद



- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद / सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जहानाबाद / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, जहानाबाद / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- प्रमंडल आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया / पुलिस उप महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकनामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

20.01.16

जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,  
जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति,  
जहानाबाद।